



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-II—खण्ड-3—रूप-खण्ड-(i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 439 ]  
No. 439]नंदि दिल्ली, वुधवार, नवम्बर 11, 1998 / कार्तिक 20, 1920  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 1998 / KARTIKA 20, 1920

## वित्त मंत्रालय

(आधिक कार्य विभाग):

(बीमा-प्रभाग):

आधिसूचना विभाग:

नई दिल्ली, 11 नवम्बर 1998

सा. का. नि. 670(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 114 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गाइडलाईं का प्रयोग करते हुए निम्नसिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक शिकायत निवारण नियम, 1998 है।

2. लागू होना—ये नियम साधारण बीमा कारबार और जीवन बीमा कारबार को करने वाली सभी बीमा कम्पनियों द्वारा लागू होंगे :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार, किसी बीमा कम्पनी को इन नियमों के उपबन्धों से छोटे संकेती, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी बीमा कम्पनी का शिकायत निवारण तंत्र पहले से ही है जो इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

3. उद्देश्य—इन नियमों का उद्देश्य बीमा कम्पनी की ओर से दावों के निपटारे से सम्बन्धित सभी शिकायतों को लागत दक्षता, दक्षतापूर्ण और नियम से दूर करना है।

4. परिभासा—इन नियमों जब तक कि संदर्भ दो अन्यथा अधिकृत न हो :—

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 अभिव्रेत है;

(ख) "समिति" से नियम 19 में निर्दिष्ट सलाहकार समिति अभिव्रेत है;

(ग) "विचाय शर्य" से बाहर मास की यह अवधि अभिव्रेत है जो फिसी वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होती है और उत्तमता वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है;

(घ) "भारतीय साधारण बीमा नियम" से साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई सरकारी कम्पनी अभिव्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कम्पनी की सुमुकुपांगी कंपनी भी होगा;

(ङ) "शासी निकाय" से नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन गठित बीमा परिषद का शासी निकाय अभिव्रेत है;

(च) "बीमा परिषद" से अधिनियम की धारा 64ग में निर्दिष्ट जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद अभिव्रेत है;

(ज) "बीमा विनियामक प्राधिकरण" से बीमा वर्द्धन की व्यवस्था लाइफ बीमा (मार्टिट) करने के लिए भारत सरकार द्वारा उसके संकल्प सख्तांक 17(2)/94-बीमा वी, नामिं 23-1-1996 द्वारा सन्तुष्टि निकाय अभिव्रेत है;

- (ज) "बीमा कम्पनी" से भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और कोई अन्य कम्पनी अभिप्रेत है जिसे, व्याख्याति, जोनल बीमा या साधारण बीमा यारंवार चलाने की अनुमति दी गई है;
- (झ) "नीचित व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा या जिसकी ओर से व्युक्तिक शृंखला में कोई बीमा पांतीसी ली गई है;
- (अ) "भारतीय जीवन बीमा निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है;
- (ट) "वैग्यकाक शृंखला" से ऐसी भीमा पालिसी अभिप्रेत है जो गैरकिक है तितात में ली गई या दी गई है;
5. बीमा परिपद का शारी निकाय—(1) बीमा परिपद का एक शासी निकाय होगा जिसमें प्रत्येक बीमा कम्पनी का एक-एक प्रतिनिधि होगा।
- (2) किसी बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि सामान्यता ऐसी कम्पनी का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या कोई निदेशक होगा।
- (3) शासी निकाय अपने कारबार के संचालन के लिए, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष का नियाचन भी है, अपनी प्रक्रिया स्वरूप विभिन्न करेगा :
- परन्तु यह कि भारतीय जीवन बीमा निगम जा अध्यक्ष शारी निकाय के प्रश्नम अध्यक्ष के स्वरूप में कार्य करेगा।
6. आम्बड़समैन—(1) शासी निकाय, इन नियमों के प्रयोगन के लिए एक या उससे अधिक व्यक्तियों को आम्बड़समैन नियुक्त करेगा।
- (2) आम्बड़समैन का राया विस्तृत क्षेत्र से किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को न्यायिक सेवा के अलावा ड्यूटी, सिधित रोगा और प्रश्नात्मक सेवा आदि का अनुभय और जानकारी हो।
- (3) आम्बड़समैन की नियुक्ति शारी निकाय द्वारा नियन्त्रित होने वाली समिति द्वारा तैयार किए गए गैनल से यो जाएगी।
- (क) बीमा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष—अध्यक्ष
- (ट) बीमा परिपद के दो प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत ग्रामशः जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि है—  
यद्यपि
- (ग) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि—राजदूत
7. पदाधार—आम्बड़समैन तीन वर्ष गी अनीधि गे : लिए नियुक्ता किया जाएगा और यह गुरुनियुक्ति या भी आत्र होगा :
- परन्तु यह कि नोई व्यक्ति विशेष वर्ष वी आगु प्राप्त करने के पश्यां आम्बड़समैन के रुप में पद भारण गई यारेगा।
8. पद रो हटाया जाना—(1) किसी आम्बड़समैन को पदाधार के दोरान उसके द्वारा कारित घोर अवचार के कारण सेवा से हटाया जा सकेगा।
- (2) शासी निकाय आम्बड़समैन ने अवचार से सम्बन्धित जांच का संचालन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसे यह ठीक समझे।
- (3) अवचार सम्बन्धी सभी जांच बीमा विनियामक प्राधिकरण को भेजी जाएंगी जिस पर आम्बड़समैन के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का वह विनिश्चय वार सकेगा।
- (4) बीमा विनियामक प्राधिकरण को सिफारिशों पर यदि शासी निकाय को यह राय है कि आम्बड़समैन अवचार का दोषी है तो यह उसको सेवा समाप्त कर सकेगा।
9. आम्बड़समैन का पारिश्रमिक आदि—(1) आम्बड़समैन को किसी ठच न्यायालय के न्यायाधीश के येतन से बरावर येतन के संदाय किया जाएगा।
- (2) आम्बड़समैन के अन्य भर्ते और परिलक्ष्यवृन् ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वाये विनिर्दिष्ट की जाएं।
10. राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता :—(1) आम्बड़समैन का व्युत्सालय ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जैसा कि बीमा परिपद द्वाये समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।
- (2) शासी निकाय आम्बड़समैन की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता विनिर्दिष्ट करेगा।
- (3) आम्बड़समैन शिकायतों के शीघ्र निपटारे के अनुक्रम में अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर वैठक आयोजित कर सकेगा।
11. कर्मचारीवृन्द—(1) आम्बड़समैन के पास ऐसा कर्मचारीवृन्द होगा, जैसा बीमा परिपद द्वाये आम्बड़समैन के परामर्श करने के परामर्श उपलब्ध कराया जाए।
- (2) आम्बड़समैन अपने कृत्यों का निर्धन करने में अपनी सहायता द्वाये दृष्टि से वृत्तिक विशेषज्ञों को सेवाएं ले सकेगा।
- (3) आम्बड़समैन को संदेय येतन, भर्ते और परिलक्ष्यों, सचिवालय के कर्मचारीवृन्द को संदेय येतन, भर्ते और अन्य फायदे तथा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपगत सभी व्यय बीमा परिपद द्वाये डाये जाएंगे।
- (4) आम्बड़समैन प्रत्येक विचीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व नियमों की अपेक्षा उपदर्शित करने वाला एक बजट तैयार करेगा।
- (5) आम्बड़समैन के कार्यालय का बजट शासी निकाय को भेजा जाएगा।
- (6) शासी निकाय आम्बड़समैन से परामर्श करके बजट को अंतिम रूप देगा और आम्बड़समैन के कार्यालय यो नियमों या आंदोलन करेगा।
- (7) आम्बड़समैन और उनके कर्मचारीवृन्द पर होने वाला कुल व्यय उन बीमा कम्पनियों द्वारा जो बीमा परिपद के सदस्य हैं, ऐसे अनुपात में उपगत किया जाएगा जैसा शासी निकाय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए :

परन्तु शासी निकाय द्वारा विनिश्चय लिए जाने तक सम्पूर्ण व्यय समानुपातिक रूप से जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार में को बीमा कम्पनियों के बीच बराबर-बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा।

(8) प्रत्येक बीमा कम्पनी द्वारा उपगत किया जाने गाला व्यय का हिस्सा ऐसी कम्पनी के पूर्ववर्ती वर्ष की प्रीमियम आय के अनुपात में होगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "प्रीमियम आय" से बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए गए युनिवीमा पर आय को हिसाब में लिये बिना बीमाकर्ता को सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय अभिव्रत है।

12. आम्बद्दसमैन की शक्ति—(1) आम्बद्दसमैन निम्नलिखित को प्राप्त और उन पर विचार कर राकेगा :—

(क) नियम 13. के अधीन शिकायतें ;

(ख) किसी बीमाकर्ता द्वारा आंशिक या सम्पूर्ण निराकृत दायें ;

(ग) पालिसी के निवंधनों के अनुसार संदर्भ या संदेश प्रीमियम को बाबत कोई विवाद ;

(घ) पालिसीयों के विधिक अर्थात् व्यय की बाबत कोई विवाद जहां तक ऐसे विवाद दायें से संबंधित हैं ;

(ङ) दायें के निपटारें में विलम्ब ;

..... (च) प्रीमियम की प्राप्ति के प्रत्यात् ग्राहकों को जारी न किया गया कोई बीमा दस्तावेज़ ।

(2) आम्बद्दसमैन प्रीमियम ऐसे मामलों में जो उसके विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आते हैं, और यदि उससे बीमित व्यक्ति वा बीमा कम्पनी द्वारा पारस्परिक करार करके लिखित में ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो परामर्शदाता और सम्बन्धित के रूप में कार्य करेगा।

(3) आम्बद्दसमैन का यह विनिश्चय कि यस रीति जिसमें शिकायत की जानी है। शिकायत उसके द्वारा विचार किये जाने के लिए उपयुक्त हो।

13. (1) कोई व्यक्ति, जिसे बीमाकर्ता के विलद कोई शिकायत है, स्वयं या अपने विधिक उच्चाधिकारी के माध्यम से गिरफ्तार उग्र आम्बद्दसमैन को जिसकी अधिकारियों के भीतर उस बीमाकर्ता को गिरफ्तार करता है, शायद या कार्यालय अवैधिक है, विविध में कारणों का

(2) शिकायत लिखित रूप में होगी और शिकायतकर्ता या उसके विधिक पारिता द्वारा सम्बन्धित होगी और उसमें शिकायतकर्ता के नाम और पते उस बीमाकर्ता जिसके पिरुद्ध शिकायत की गई है, जो नाम और शायद या कार्यालय के पते, दरवारें द्वारा जिन पर गिरायतकर्ता विभिन्न रूप से निर्धारित होंगे।

(3) आम्बद्दसमैन को कोई शिकायत तब होगी जब :—

(क) शिकायतकर्ता ने आम्बद्दसमैन को शिकायत करने से पूर्व शिकायत में नामित बीमाकर्ता को लिखित अभ्यायेदन दिया हो और बीमाकर्ता ने या तो शिकायत को खारिज कर दिया हो या फिर शिकायतकर्ता को, संबंधित बीमाकर्ता से उसके द्वारा अभ्यायेदन की प्राप्ति से एक माह की अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो या शिकायतकर्ता, बीमाकर्ता, द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट न हो,

(ख) शिकायत, बीमाकर्ता द्वारा अभ्यायेदन के खारिज करने या शिकायतकर्ता के अभ्यायेदन पर उसके अंतिम उत्तर के एक वर्ष के पीछे की गई हो, और

(ग) शिकायत किसी ऐसे समान विषय वस्तु पर नहीं है जिसके लिए किसी द्वारा यातायालय, उपभोक्ता, मंच या सम्बन्धित के समक्ष कार्यालय लंबित है या पहले लंबित थी। आम्बद्दसमैन ग्रन्तिया से और साम्बद्दसमैन के कार्यालय से ग्रन्ति दी जाएगी।

14. (1) आम्बद्दसमैन दायें पर कार्यालयी करने के लिए, यदि यह उचित रामझता है तो नियम 13 के उपनियम (1) और (2) में नार्जिंग से भिन्न कोई प्रक्रिया अपना सकता है :

परन्तु यह कि आम्बद्दसमैन पक्षों से अपने-अपने दायें के समर्थन में आवश्यक कागजों की मांग कर सकता है और जहां यह आवश्यक समझता है, बीमा कम्पनी में उपलब्ध तथ्यपूर्ण जानकारी एकत्रित कर सकता है।

(2) आम्बद्दसमैन शिकायत का निपटारा ग्रन्तिया से और साम्बद्दसमैन के कार्यालय से भेजेगा।

15. आम्बद्दसमैन द्वारा की गई सिफारिशें :—(1) यह शिकायतकर्ता और सोभानाने ने आपनो करार से लिखित अनुरोध के अन्तर्गत अम्बद्दसमैन द्वारा ही गई शिकायत या ग्रन्तिया, आम्बद्दसमैन की ग्रन्तियालय से दो जाग हैं ये आम्बद्दसमैन, ऐसी सिफारिश, जिसे यह ग्रन्ति दी गई है, परिस्थितियों में अद्यु समझता है, करेगा। सिफारिशों की प्रतिक्रिया शिकायतकर्ता और संबंधित बीमा कम्पनी को भेजी जाएंगी। ऐसी सिफारिशों शिकायत की प्राप्ति तारीख से एक माह तक की जाएंगी।

(2) यदि शिकायतकर्ता आम्बद्दसमैन की सिफारिश ने स्वीकृत कराया है तो यह सिफारिश की प्राप्ति तारीख से 15 दिनों की अवधि नियम के लिए आम्बद्दसमैन द्वारा की गई सिफारिशों के रूप में, किया गया निपटारा उसे समग्र रूप में स्वीकृत है।

(3) आम्बद्दसमैन सिफारिश को एक प्रति शिकायतकर्ता से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ बीमा कम्पनी को भेजेगा। तुष्टि बीमाकर्ता, तुष्टि एसोसिएशन सिफारिश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सिफारिशों के नियंत्रणों का अनुपालन करेगा और बीमाकर्ता आम्बद्दसमैन को इनके अनुपालन की जानकारी देगा।

16. पंचाट—(1) यहां शिकायत का निपटारा नियम 15 के अधीन करार द्वारा नहीं होता है। यहां आम्बड़समैन, ऐसा पंचाट देगा, जिसे यह दाये के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुग्रहपूर्वक होता है।

(2) पंचाट लिखित में होगा और शिकायतकर्ता को प्रदान की जाने वाली रकम का क्रमन करेगा।

परन्तु यह कि आम्बड़समैन, डग रकम से अधिक, जो शिकायतकर्ता को प्रदान की जाने वाली बीमाकृत जोखिम के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हुए उकसान की भरपाई ने लिए आवश्यक है, या नीस लाख से अनधिक रकम का (अनुग्रहपूर्वक और अन्य व्यक्ति सहित), जो भी कम हो, प्रतिक्रिया प्रदान नहीं गये।

(3) आम्बड़समैन, शिकायत प्राप्त होने से तीन महीने की अवधि के भीतर पंचाट देगा।

(4) पंचाट को एक-एक प्रति शिकायतकर्ता और शिकायत में नामित बीमाकर्ता को भेजी जाएगी।

(5) शिकायतकर्ता, पंचाट के प्राप्त होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर बीमाकर्ता को स्वीकृति पत्र भेजेगा कि पंचाट उसके दाने का पूर्ण और अंतिम निपटारा है।

(6) बीमाकर्ता, उपनियम (5) के अधीन स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पंचाट का अनुसालन करेगा और अनुसालन की गुणवा आम्बड़समैन को देगा।

17. पंचाट की अस्वीकृति के परिणाम—यदि शिकायतकर्ता, नियम 16 के उपनियम (5) के अधीन स्वीकृति की सूचना नहीं भेजता है तो बीमा कम्पनी पंचाट को फार्मार्टियत करने से मना कर सकती है।

18. अनुग्रहपूर्वक संदाय करने की शक्ति—यदि आम्बड़समैन उचित समझता है, तो यह अनुग्रहपूर्वक संदाय करने का पंचाट दे सकता है।

#### प्रकीर्ण उपबंध

#### साराहनकार समिति

19. रामय-समय पर आम्बड़समैन के काम का पुनर्विलोकन करने के लिए बीमा विनियामक प्राधिकरण की सहायता के लिए पांच छवाति प्राप्त व्यक्तियों से अनधिक की एक सलाहकार समिति सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। बीमा विनियामक प्राधिकरण, ऐसी बैठकों का समय, स्थान और गणार्थी का, विनियन करेगा। प्राधिकरण, रासी निकाय तो भास्तु पर विचार-विमर्श गरने के पश्चात् आम्बड़समैन की कार्यविधि में गुभार लाने के लिए समुचित प्रस्तावों तो सरनार से दिलारिया कर राखेगा। सरनार, बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा को गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन विधायियों में ऐसे संशोधन कर सकेगी, जिन्हें यह उचित समझती है।

20. आम्बड़समैन, प्रत्येक वर्ष, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान आम्बड़समैन के व्यायालय के कार्यकलारों का साधारण पुनर्विलोकन से युक्त रिपोर्ट आर ऐसी अन्य जानकारी, जिसे यह आवश्यक समझता है, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा। आम्बड़समैन, वार्षिक रिपोर्ट में बीमाकर्ता द्वारा दी गई सेवाओं को व्यालिटी का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा और इन सेवाओं के सुधार के लिए सिफारिशें करेगा।

#### बीमा परिषद की सिफारिशें

21. बीमा परिषद्, आम्बड़समैन को ऐसी सिफारिशों का सुझाव दे सकती है जिन्हें यह उचित समझती है और जो उसको राय में वार्षिक रिपोर्ट की उपयोगिता यढ़ाएगी और जिससे कि नियमों के उद्देश्यों का, पुनर्विलोकन के अधीन वर्ष के कार्यकलारों के रूप में स्पष्ट रूप से विश्लेषण हो जाएगा। आम्बड़समैन, आगामी रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के दीर्घकालिक सुधार के लिए सुझाव समाविष्ट करेगा।

[फा. नं. 56/32/97-आई एन एस-1]

डॉ. सी. श्रीयास्तग, निदेशक

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1998

G. S. R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Central Government hereby frames the following Rules, namely :—

1. Short title.—These Rules may be called the Redressal of Public Grievances Rules, 1998.

2. Application.—These Rules shall apply to all the insurance companies operating in general insurance business and in life insurance business.

Provided that the Central Government may exempt an insurance company from the provisions of these Rules, if it is satisfied that an insurance company has already a grievance redressal machinery which fulfills the requirements of these Rules.

3. The objects of these Rules are to resolve all complaints relating to settlement of claim on the part of insurance companies in cost effective, efficient and impartial manner.